न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास एल.एन.सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 5/2020/अपील/आर्म्स एक्ट/बूंदी

दायरा दिनांकः 6.1.2020

अन्तर्गत धाराः 18 आर्म्स एक्ट,1959

उनवान

कंवरलाल आत्मज उदालाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम गादेगाल तहसील एवं जिला बूंदी–राज0।

...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी ।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री विनय कुमार सक्सेना अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:::निर्णय:::

दिनांक 3.2.2020

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 24/अपील/18 अन्तर्गत धारा 18 आर्म्स एक्ट बउनवान कंवरलाल बनाम राज0 सरकार जरिये उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बूंदी मे पारित निर्णय दिनांक 9.10.2019 से (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 2626 अपीलांट के विरूद्ध मुकदमा संख्या 39/11 धारा 430 आईपीसी व धारा 3 पीडीपीपी एक्ट मे दर्ज होकर न्यायालय मे विचाराधीन होने से उपखण्ड मजिस्ट्रेट बूंदी द्वारा आदेश कमांक 4124–28 दिनांक 26.12.2017 अपीलांट द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा आर्म्स एक्ट की धारा 18 अन्तर्गत अपील न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी के यहां पेश की गई जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण संख्या 39/11 धारा 430 आईपीसी व धारा 3 पीडीपीपी एक्ट मे दर्ज होकर न्यायालय मे विचाराधीन होने से जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को निलबंन से बहाल किये जाने की अनुशंषा नही की जाने पर राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 16.8.2005 से पारित निर्देश "अनुज्ञापितधारी को दाण्डिक प्रकरण मे संलिप्तता होने पर उसके विरूद्ध कार्यवाही कर अनुज्ञापत्र को निलम्बित/रिवोक लोकशांति, कानून व्यवस्था की दृष्टि से किया जा सकता है" के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय ने उपखण्ड मजि0 बूंदी द्वारा पारित निलबंन आदेश कमांक 4124–28 दिनांक 26.12.2017 को यथावत रखते हुये अपीलांट की अपील को निर्णय दिनांक 19.10.2019 से खारिज किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील आर्म्स एक्ट की धारा 18 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश कर निवेदन किया कि जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 बूंदी का जेरअपील निर्णय दिनांक 9.10.2019 कानून एवं तथ्यों के विपरीत है। आदेश मे विवेचित प्रकरण सं0 39/11 का दिनांक 4.9.2017 को न्यायिक मजि0 तालेडा जिला बूंदी के यहां से निर्णय हो चुका है जिसमे अपीलांट को दोषमुक्त किया है। इसके बावजूद भी दौनो अधीनस्थ न्यायालयो ने इसी बिन्दू को आधार बनाते हुये लाईसेन्स नवीनीकरण नही करने का जो आदेश दिया है वह पूर्णतया गैरकानूनी हैं। धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र मे दर्ज बन्दूक का किसी अपराध मे उपयोग नही किया गया है तथा ना ही अनुज्ञापत्र की शर्तो का कभी उल्लधंन किया गया है। लोकशांति व लोकसुरक्षा भंग करने संबधी कोई आरोप अपीलांट के विरूद्ध नही है ऐसी स्थिति मे शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने मे कोई बाधा नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बूंदी का आदेश दिनांक 26.12.22017 एवं जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी का आदेश दिनांक 9.10.2019 निरस्त कर अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 2626 टोपीदार बन्दूक संख्या 8236 को बहाल करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 बूंदी का जेरअपील निर्णय दिनांक 9.10.2019 कानून एवं तथ्यों के विपरीत है क्योंकि आदेश मे विवेचित प्रकरण सं0 39/11 का दिनांक 4.9.2017 को न्यायिक मजि0 तालेडा जिला बूंदी के यहां से निर्णय हो चुका है जिसमे अपीलांट को दोषमुक्त किया है। इसके बावजूद भी दौनो अधीनस्थ न्यायालयो ने इसी बिन्दू को आधार बनाते हुये लाईसेन्स नवीनीकरण नही करने का जो आदेश दिया है वह पूर्णतया गैरकानूनी हैं। धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र मे दर्ज बन्दूक का किसी अपराध मे उपयोग नही किया गया है तथा ना ही अनुज्ञापत्र की शर्तो का कभी उल्लधंन किया गया है। लोकशांति व लोकसुरक्षा भंग करने जैसे कोई आरोप अपीलांट के विरूद्ध नही है ऐसी स्थिति मे शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने मे कोई बाधा नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बूंदी का आदेश दिनांक 26.12.22017 एवं जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी का आदेश दिनांक 9.10.2019 निरस्त कर अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 2626 टोपीदार बन्दूक संख्या 8236 को बहाल करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का तथा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का रेस्पो0 राजकीय अधिवक्ता द्वारा खण्डन नही किया गया तथा ना ही खण्डन मे कोई साक्ष्य सबूत पेश किये गये ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलांट को स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 2626 धारित शस्त्र टोपीदार गन डीबीएमएल गन नं0 8236 को अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण संख्या 39/11 दर्ज होने से जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट के आधार पर तत्काल प्रभाव से आदेश क्रमांक–न्याय/2017/4124–28 दिनांक 26.12.2017 निलम्बित किया जाकर शस्त्र थाना तालेडा मे जमा कराने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र निलम्बन से बहाल किये जाने हेतु आर्म्स एक्ट की धारा 18 के अन्तर्गत अपील न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 बूंदी के यहां पेश की गई जिसे जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 बूंदी द्वारा निर्णय दिनांक 9.10.2019 से खारिज किया गया। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी के आलौच्य निर्णय दिनांक 9.10.2019 से व्यथित होकर अपीलांट आर्म्स की धारा 18 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर प्रकट किया दौनो अधीनस्थ न्यायालयो के निर्णय मे विवेचित प्रकरण सं0 39/11 का माननीय न्यायालय तालेडा से निर्णय हो चुका है जिसमे अपीलांट को दोषमुक्त किया गया है। अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है ऐसी स्थिति मे लाईसेन्स को नवीनीकरण किये जाने मे किसी प्रकार की बाधा नही है। अतः उक्त दौनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय को निरस्त किया जाकर लाईसेन्स निलम्बन से बहाल किया जाकर नवीनीकरण किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे। जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि आर्म्स एक्ट की धारा 18 मे प्रदत्त शक्तियों आलोक मे जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी को आर्म्स एक्ट की धारा 18 अन्तर्गत अपील का श्रृवणाधिकार/क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। अतः जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी द्वारा आर्म्स एक्ट की धारा 18 अन्तर्गत अपील सं0 24/18 कंवरलाल बनाम राज0 सरकार मे पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 9.10.2019 क्षेत्राधिकार के विपरीत होने से विधि अनुसार अपास्त किये जाने योग्य है। परिणाम स्वरूप जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 बूंदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9.10.2019 अपास्त किया जाता है। अपीलांट द्वारा प्रकरण मे न्यायालय न्यायिक मजि0 तालेडा द्वारा नि.फौ.प्र. संख्या 245/2011 राज0 सरकार बनाम कंवरलाल मे पारित निर्णय 4.9.2017 की छाया प्रति पेश की है जिसके अवलोकन प्रकट होता है कि माननीय न्यायालय ने अपीलांट को अपराध अन्तर्गत धारा 430 भा.द.स. के आरोप से

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

जरिये राजीनामा तथा धारा 3 पीडीपीपी एक्ट के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया गया है। जबकि उपखण्ड मजि0 बूंदी द्वारा आदेश कमांक 4124–28 दिनांक 26.12.2017 से अपीलांट द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 2626 अपीलांट के विरूद्ध मुकदमा संख्या 39/11 धारा 430 आईपीसी व धारा 3 पीडीपीपी एक्ट मे दर्ज होकर न्यायालय मे विचाराधीन होने से शस्त्र अनुज्ञापत्र को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजि0 बूंदी द्वारा प्रकरण मे समुचित तथ्यों का परीक्षण किये बिना मात्र जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट को आधार मानते हुये अपीलांट द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र को आलौच्य आदेश कमांक 4124–28 दिनांक 26.12.2017 से तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश अंतिम आदेश न होकर अंतरिम आदेश है। ऐसी स्थिति मे उक्त विवेचित तथ्यों के परिपेक्ष्य मे हम उपखण्ड मजिस्ट्रेट बूंदी के उक्त आदेश को न्यायोचित नही पाते है। फलत् अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बूंदी द्वारा पारित आलौच्य आदेश कमांक 4124–28 दिनांक 26.12.2017 को अपास्त कर प्रकरण प्रकरण उपखण्ड मजि0 बूंदी को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण सं0 39/11 मे माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट तालेडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4.9.2017 का अवलोकन कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला मजि0 बूंदी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बूंदी को प्रेषित की जावे।

7 निर्णय आज दिनांक 3.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(एल. एन. सोनी)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा